

आदेश

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्रस्तावित ज्वाड़नैणी-बुकसाड़ मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 4.8338 हैक्टर वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि को नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में नामान्तरित किये जाने के संबंध में कार्यालय तहसीलदार, जैती के पत्रांक मैमो/र०का०/2015-16, दिनांक 01-12-2015 के द्वारा याचक विभाग को प्रेषित की गई आख्या एवं उप जिलाधिकारी, जैती/भनोली के पत्र संख्या मैमो/वनभूमि/र०का०/2015, दिनांक 06-02-2016 के द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव में उक्त प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक-वृक्षारोपण के लिये प्रस्तावित की गई भूमि के अभिलेखों जिसमें प्रस्तावित मार्ग के निर्माण के संबंध में संलग्न शासन द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र, संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, तहसीलदार जैती की रिपोर्ट एवं उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित की गई भूमि की खतौनी, प्रति तथा प्रस्तावित की गई भूमि का मौका नक्शा एवं उक्त प्रयोजन हेतु प्राप्त आख्या व अभिलेखों के आधार पर निम्नवत राजस्व ग्रामों में क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु भूमि प्रस्तावित की गयी है:-ग्राम-उडियारी, पटवारी क्षेत्र-गणाऊँ, तहसील-जैती के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-41 की श्रेणी-9(3)ड़ " बंजर काबिल आबाद " के पैमायसी खेत न० 2788 म०-0.247 है०, खेत न० 2790 रक्वा-0.092 है०, खेत न० 2792 रक्वा-0.032 है०, खेत न०-2797 रक्वा-0.085 है०, खेत न०-2799 रक्वा-1.633 है०, इस प्रकार कुल-2.089 हैक्टर तथा ग्राम-चिरातिनगिना, पटवारी क्षेत्र-गणाऊँ, तहसील-जैती के खतौनी खाता संख्या-23 की श्रेणी-9(3)ड़ " बंजर काबिल आबाद " के पैमायसी खेत न० 431 म०-0.017 है०, खेत न० 434 रक्वा-0.092 है०, खेत न० 436 रक्वा-0.210 है०, खेत न०-438 रक्वा-0.087 है०, खेत न०-440 म०-0.266 है०, खेत न० 442 रक्वा-0.207 है०, खेत न० 449 रक्वा-0.070 है०, खेत न० 453 रक्वा-0.016 है०, खेत न०-455 रक्वा-0.208 है०, खेत न०-461 म०-0.180 है०, खेत न० 472 म०-0.016 है०, खेत न० 485 रक्वा-0.011 है०, खेत न० 514 रक्वा-0.071 है०, खेत न०-516 रक्वा-0.010 है०, खेत न०-522 म०-0.147 है० इस प्रकार कुल-1.808 हैक्टर एवं ग्राम-पजैना, पटवारी क्षेत्र-बकस्वाड़, तहसील-जैती के खतौनी खाता संख्या-21 की श्रेणी-9(3)ड़ " बंजर काबिल आबाद " के पैमायसी खेत न० 3151 म०-0.550 है०, खेत न० 3152 रक्वा-0.360 है०, खेत न० 3156 रक्वा-0.073 है०, खेत न०-3160 मध्ये-0.080 है०, खेत न०-3168 रक्वा-0.035 है०, खेत न० 3180 रक्वा-0.011 है०, खेत न० 3174 रक्वा-0.043 है०, खेत न० 3209 रक्वा-0.030 है०, खेत न० 3211 मध्ये-0.340 है०, खेत न० 3212 रक्वा-0.160 है०, खेत न० 3217 रक्वा-0.088 है०, खेत न० 3187 रक्वा-0.300 है०, इस प्रकार कुल-2.070 हैक्टर तथा ग्राम-मल्ला-भट्यूड़ा, पटवारी क्षेत्र-जैती, तहसील-जैती के खतौनी खाता संख्या-28 की श्रेणी-9(3)ड़ " बंजर काबिल आबाद " के पैमायसी खेत न० 2346 रक्वा-2.365 है०, खेत न० 2227 रक्वा-1.368 है०, कुल-3.733 हैक्टर इस प्रकार उक्त प्रयोजन हेतु कुल-9.700 हैक्टर सिविल भूमि को क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार, जैती कृ० तदनुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

ह०/-

(सविन बंसल)

जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

संख्या 3331 / ग्यारह-38/2015-16, दिनांक 28, फरवरी, 2016

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा ।
- 2- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
- 3- उप जिलाधिकारी, जैती/भनोली, जनपद-अल्मोड़ा ।
- 4- तहसीलदार, जैती को उपरोक्तानुसार अनुपालन किये जाने हेतु ।

प्रभारी अधिकारी,
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा